

रैगिंग निरोधी दस्ता -1
डिग्री स्टूडेंट्स (वाह्य छात्रावास/आसपास के चिन्हित स्थान)

क्रम	नाम	पद नाम	मोबाइल न0	ई-मेल आईडी0
1	श्री मनीष सिंह राजपूत	छात्रावास अधीक्षक/संयोजक	8005495170	msr@aith.ac.in
2	श्री आशुतोश मिश्रा	सदस्य	8005495167	ashutosh@aith.ac.in
3	श्री रोहित शर्मा	सदस्य	8005495164	rohit@aith.ac.in
4	श्री राकेश सचान	सदस्य	9454741407	rksachan@aith.ac.in
5	श्री दीपक त्रिवेदी	सदस्य	8737922420	dtrivedi1982@gmail.com

रैगिंग निरोधी दस्ता -2

डिग्री/डिप्लोमा छात्राये (वाह्य एवं आंतरिक छात्रावास/आसपास के चिन्हित स्थान)

क्रम	नाम	पद नाम	मोबाइल न0	ई-मेल आईडी0
1	डॉ0 ममता शर्मा	छात्रावास अधीक्षिका/संयोजक	8005494583	mamta@aith.ac.in
2	श्रीमती श्वेता त्रिपाठी	सदस्य	8005495169	shweta@aith.ac.in
3	श्रीमती कल्पना कटियार	सदस्य	9450828951	kalpana@aith.ac.in
4	श्रीमती सपना सोनकर	सदस्य	9455875854	sapna@aith.ac.in
5	श्रीमती मोनिका सविता	सदस्य	9839065464	monika@aith.ac.in
6	श्रीमती सुनीता द्विवेदी	सदस्य	9305340080	sunita@aith.ac.in

रैगिंग निरोधी दस्ता -3

डिप्लोमा/डिग्री छात्र (आंतरिक छात्रावास/संस्थान परिसर/संस्थान के आसपास के चिन्हित स्थान)

क्रम	नाम	पद नाम	मोबाइल न0	ई-मेल आईडी0
1	श्री संजय कुमार सिंह	छात्रावास अधीक्षक/संयोजक	8005495779	sanjay@aith.ac.in
2	श्री शिव किशन दुबे	सदस्य	8005495165	skd@aith.ac.in
3	श्री कौशलेन्द्र कुमार	सदस्य	8005495181	kaushalendra@aith.ac.in
4	श्री विजय कुमार	सदस्य	7311100722	vijay@aith.ac.in
5	श्री अनुज श्रीवास्तव	सदस्य	8005495166	anuj@aith.ac.in
6	श्री रणवीर सिंह	सदस्य	9795638673	ranbir@aith.ac.in

उक्त दस्ते के संयोजक समस्त सदस्यों की चकानुकम मे ड्यूटी लगायेंगे तथा सदस्यों के हस्ताक्षर वाला रजिस्टर प्रत्येक सप्ताह सदस्य सचिव, रैगिंग निरोधी समिति के माध्यम से अध्यक्ष, रैगिंग निरोधी समिति को अवलोकित करायेंगे।

नियम

रैगिंग रोकथाम हेतु सम्बंधित समिति, दस्ते के पदाधिकारियों एवं सदस्यों हेतु सामान्य एवं अनिवार्य नियम

1. रैगिंग निरोधी समिति में शामिल समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों द्वारा आहूत की जाने वाली बैठक में भाग लेना अनिवार्य होगा।
2. रैगिंग रोकथाम हेतु गठित विभिन्न दस्तों के संयोजकों द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया तथा उनके द्वारा विभिन्न सदस्यों को आवंटित दायित्वों हेतु एक रजिस्टर तैयार करना होगा। जिसे प्रत्येक सप्ताह के अन्त में रैगिंग निरोधी समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को अवलोकित कराना होगा।
3. प्रत्येक दस्ते को आवंटित छात्रावास के साथ-साथ उसके आसपास के ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर दस्ते के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जायेगी जहाँ पर छात्रों की जमावड़ा होने की संभावना रहती है।
4. छात्रावास के भीतर रैगिंग की प्रभावी रोकथाम की जिम्मेदारी संबंधित छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका, सहायक छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका की होगी।
5. अपरिहार्यता की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर विशेष प्रकरण संस्थान में गठित रैगिंग निरोधी समिति को संदर्भित किये जा सकेंगे।
6. छात्रावास अधीक्षक, संयोजक का दायित्व होगा कि संस्थान प्रशासन एवं रैगिंग निरोधी दस्ते के आवश्यक फोन नं0 छात्रावास में नवप्रवेशित छात्रों के विंग में चरपा कर दें।
7. प्रत्येक दस्ते के संयोजक को सप्ताह में एक बार अपने सदस्यों के साथ बैठक करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा दायित्वों का आवंटन किया जायेगा।
8. छात्रावास में रैगिंग निरोधी नियमों से नवप्रवेशित छात्रों/पुरातन छात्रों को अनिवार्य रूप से अवगत कराना होगा।
9. संस्थान परिसर में कार्यदिवस, उसके उपरान्त, उसके पहले विभिन्न शिक्षकों/कर्मचारियों की ड्यूटी समय रहते उपलब्ध करायी जायेगी।

(रूपे)
05/08/19
(डॉ0 राजेश कुमार गुप्त)
चीफ प्रॉक्टर/डीन, छात्र कल्याण

(प्रो0 रचना अस्थाना)
निदेशक